FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **इण्डो स्टार कैपिटल फाईनेंस** बनाम **सरकार जरिये एसएचओ अकबरपुर**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

प्रा0पत्र नम्बर 15/115/2024 दायर दिनांक 05.12.2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन LPT-1512 रजि0 सं0 HR-55-AK-2038 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र अन्तर्गत आरबीएक्ट पेश किया गया है। सुपुर्दगी प्रा0पत्र के संबंध में सुन्दरभाई अम्बालाल बनाम स्टेट ऑफ गुजरात (SC) दि0 01.10.2002, चरणजीत सिंह चढा बनाम सुधीर मेहरा (SC) दि0 31.08.2001, भारत मेहता बनाम स्टेट By Inspector of Police Chennai (SC) दि0 25.03.2008 एवं एफआईआर नं0 300/2020 टाटा मोटर्स लि0 और मै0 मेट्रो प्लास्टर इण्डस्ट्रीज आदेश दिनांक 03.11.2020 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कम सं0 1, सीकर राजस्थान नजिरें पेश की है। प्रा0पत्र के कम में संबंधित थानाधिकारी थाना अकबरपुर अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी सदर अलवर द्वारा पत्रांक 514 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को वाहन को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी इण्डो स्टार कैपिटल फाईनेंस लिमिटेड द्वारा प्रा0पत्र सुपुर्दगी पेश किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार उक्त जप्तशुदा वाहन के संबंध में प्रा0पत्र के साथ वाहन आर.सी. आसम खान की पेश की गई है व अन्य कोई आर.सी. की प्रति पेश नहीं की गई है। जिससे जाहिर	

होता है कि वाहन का वाहन स्वामी आसम खान है एवं जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकारी है। परन्तु प्रार्थी इण्डो स्टार कैपिटल फाईनेंस लिमिटेड के द्वारा प्रा0पत्र सुपुर्दगी पेश किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा पेश नजिरें उक्त प्रा0पत्र पर चस्पा नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी इण्डो स्टार कैपिटल फाईनेंस लिमिटेड का प्रा0पत्र सुपुर्दगी वाहन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर